अध्याय—5

अध्याय–5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेन–देनों की नमूना जांच में प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है।

दि प्रॉविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

5.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

नियत समय सीमा में वार्षिक आयकर विवरणी दाखिल न करने एवं कम अग्रिम कर जमा करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार प्रत्येक मामले में, जहां करदाता द्वारा वर्ष में देय कर ₹ दस हजार[1] या अधिक होता है, अग्रिम कर देय होता है। अधिनियम की धारा 234ख प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता जो धारा 208 के अनुसार अग्रिम का दायी है और कर भुगतान में विफल रहता है या करदाता द्वारा अग्रिम कर का भुगतान कर दिया गया है लेकिन उक्त भुगतान निर्धारित कर के 90 *प्रतिशत* से कम है तो करदाता द्वारा निर्धारित कर और अग्रिम कर के अंतर की राशि पर अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रत्येक माह एक *प्रतिशत* साधारण ब्याज देय होगा।

तदन्तर, अधिनियम की धारा 234ग प्रावधान करती है कि यदि करदाता अग्रिम कर भुगतान में असफल रहता है या भुगतान किया गया अग्रिम कर 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 31 मार्च को देय कर का क्रमशः 15 *प्रतिशत*, 45 *प्रतिशत*, 75 *प्रतिशत*, 100 *प्रतिशत* से कम है, तो करदाता को कमी की राशि पर एक *प्रतिशत* प्रतिमाह साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। धारा 234क के प्रावधानो के अनुसार, किसी मामले में किसी निर्धारण वर्ष में आय विवरणी नियत तिथि के बाद दाखिल की जाती है, तो एक *प्रतिशत* प्रतिमाह या माह के भाग पर, ऐसे कर राशि जो निर्धारित आय में से अग्रिम कर और स्त्रोत पर काटे

[1] वित्त अधिनियम, 2009 के 01.04.2009 से पांच हजार के लिए प्रतिस्थापन।

गये/ इकट्ठा किए गए कर को घटाकर प्राप्त की गयी हो, साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2018) कि दि प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ने नियत समय में अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया था। साथ ही उन्होंने देय तिथि तक के वार्षिक आय की विवरणी (आईटीआर) भी दाखिल नहीं की थी। अभिलेखों की जांच यह संकेत करती है कि कम्पनी देय तिथि तक आयकर विवरणी दाखिल करने एवं नियत तिथि पर अग्रिम कर का निर्दिष्ट *प्रतिशत* जमा करने में अनियमित रही है। 2007–08 से 2017–18 तक के वार्षिक खातों को देरी से तैयार किये जाने के कारण कम्पनी ने कर निर्धारण वर्षों 2008–09 से 2018–19 की आय कर विवरणी 328 दिन से 548 दिनों की देरी से दाखिल की ***(परिशिष्ट–5.1)***। निर्धारण वर्षों 2008–09 से 2018–19 तक कम्पनी ने धारा 234क, 234ख एवं 234ग के तहत ₹ 1.14 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया, जो बचाया जा सकता था, यदि कम्पनी निर्धारित देय तिथि तक अग्रिम कर का सही आंकलन करती एवं त्रैमासिक आधार पर भुगतान करती।

उत्तर में वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि वर्तमान स्थिति तत्कालीन प्रबंधन द्वारा सही समय पर लेखापरीक्षा न करा पाने के कारण उत्पन्न हुई है। वर्तमान प्रबंधन ने संबंधित कर्मचारियों को कम्पनी की सेवा से हटा दिया है (19 दिसम्बर 2017) एवं आपराधिक प्रकरणों के लिए उन पर एफ.आई.आर. दर्ज की और आवास भी खाली करा लिये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी अधिनियम 1956/2013 की धारा 210/129 के अनुसार, कम्पनी का यह दायित्व है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर खाते शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में रखे। इसके अलावा, कम्पनी संबंधित वर्षों के लिए अपनी आय के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण कर सकती थी।

बि. कु. मु.

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक: 15 जुलाई 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई 2020